



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 15, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 2433/77-3-2021-134(एम)-2018

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

प0आ0-399

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि जिला सुलतानपुर की तहसील-बल्दीराय के ग्राम हलियापुर में 0.1353 हेक्टेयर भूमि की, लोक प्रयोजन अर्थात् उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु आवश्यकता है।

2-राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण अभिकरण द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत कर दी हैं जिसने दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को उसकी संस्तुति को अनुमोदित कर दिया है।

3-संक्षेप में, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंध योजना से संबंधित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियाँ निम्नानुसार हैं :-

(क) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना एक पारंपरिक परियोजना है, जो किसी प्रभावित ग्राम में अधिकतम 120 मी० चौड़ाई की भूमि पट्टी पर संचालित की जा रही है। इस प्रकार यह परियोजना, किसी ग्राम के अधिकांश अथवा कुल क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर रही है ताकि इस परियोजना से विस्थापन नगण्य हो।

(ख) यद्यपि इस परियोजना के माध्यम से संबंधित ग्रामों के कृषि योग्य क्षेत्रफल में कमी आना संभाव्य है किन्तु भूमि के सर्किल दर के चार गुना के बराबर प्रतिकर से कृषकों को फार्मों का उन्नयन करने, फार्म मशीनरी में वृद्धि करने एवं सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

(ग) भूमि अर्जन के प्रतिकर से वैकल्पिक रोजगार के साधनों, उत्तम आवास निर्माण, परिवहन के साधनों तथा कृषि प्रौद्योगिकी के विकास में वृद्धि होना संभाव्य है। इससे भू-धृतियों में होने वाली ह्रास की क्षति पूर्ति होगी।

(घ) लम्बी दूरी की इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का राज्य की राजधानी लखनऊ से जुड़ना संभाव्य होगा जिससे समय और लागत में कमी आयेगी और दूरस्थ क्षेत्रों में वाणिज्यिक क्रियाकलापों का विकास होगा। इससे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, फलों एवं सब्जियों तथा अन्य विनश्वर वस्तुओं को बड़े बाजारों तक ले जाने में सुविधा होगी और यह कृषि एवं सहबद्ध प्रयोजनों में सहायक होगा।

(ङ) तीव्र एवं उत्तम परिवहन के साधनों की वृद्धि से पर्यटन, चिकित्सा परिचर्या और साथ ही साथ अन्तर्राज्यीय परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।

(च) अतएव बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का अभिमत है कि—

(एक) जिला सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित करना लोक हित में है और इससे लोक प्रयोजन की पूर्ति होती है।

(दो) इस परियोजना की संभाव्य प्रसुविधाएं, सामाजिक व्यय एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघात से अपेक्षाकृत अधिक हैं और अर्जित की जाने वाली कुल भूमि, इस परियोजना के लिये अपेक्षित कुल भूमि से अत्यन्त कम है।

4—समिति की उपर्युक्त संस्तुतियों के सन्दर्भ में ज्ञात हो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से प्रभावित क्षेत्र हेतु सर्किल दर का पुनरीक्षण स्टाम्प एवं निबंधन विभाग/कलेक्टर, सुलतानपुर द्वारा नियत प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण किये जाने की प्रक्रिया, उक्त अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में यह भी उल्लिखित है कि निकटतम समीपस्थ क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के औसत विक्रय मूल्य का अवधारण, कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।

5—इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य न हो।

6—अतएव, राज्यपाल सामान्य सूचना हेतु यह अधिसूचित करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल (हे०में)
1	2	3	4	5	6
सुलतानपुर	बल्दीराय	इसौली	हलियापुर	483 ग	0.0127
				522	0.0136
				1064	0.0510
				1072	0.0298
				2487	0.0081
				2530	0.0105
				2533/3940	0.0032
				2560	0.0064
			कुल	08 किता	0.1353

7—राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट रूप में भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने और भूमि में प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, किसी भूमि का

समतलीकरण करने, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित समस्त कार्य करने के लिये भी कलेक्टर को प्राधिकृत करती हैं।

8—उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन, भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना को प्रकाशित किये जाने के पश्चात साठ दिन के भीतर अपने क्षेत्र में भूमि अर्जन करने के लिये लिखित रूप में कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

9—उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन, कोई व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भूमि अर्जन की कार्यवाहियां पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा अथवा उसका संव्यवहार अर्थात् विक्रय/क्रय नहीं करने देगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर सुलतानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2433/LXXVII-3-2021-134(M) -2018 dated December 6, 2021 :

No. 2433/LXXVII-3-2021-134(M) -2018
Dated Lucknow, December 6, 2021

Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is saquired in the that a total of 0.1353 Hectares of land in District Sultanpur is required in the village Haliyapur 0.1353 hect. Tehsil Baldirai for the public purpose namely Purvanchal Expressway Project through the Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority(UPEIDA).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency. Multi disciplinary Expert group constituted by State Government for evaluation of Social Impact Assessment report has submitted its recommendations to the Government of Uttar Pradesh which has approved its recommendation on date November 26, 2021.

3. In brief, the recommendations of Multi Disciplinary Expert group regarding Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan is as follows-

(a) Purvanchal Expressway is a linear which is being run upon a land stretch in maximum 120 mt. width in any affected village. In this way this project is not affecting major or total areas of any village. So that the displacement from this project is negligible.

(b) Though this project is likely to reduce the cultivable area in the concerned villages but compensation equal to four times of the circle rate of the land will help the farmers to upgrade the farms, increase in farm machinery and development of irrigation facilities.

(c) The compensation of the land acquisition is likely to develop alternate employment measures, construction of better houses, development of means of transport and agriculture technology. This will compensate the loss due to reduction in land holdings.

(d) This long distance project is likely to connect the remote areas of Uttar Pradesh with the state capital Lucknow reducing the time and cost and improving the commercial in the remote areas. It will cause convenience in transporting milk and milk products, fruits and vegetables and other perishable items to big markets and this will help in agricultural and allied purposes.

(e) Growth of fast and better means of transport will help in development of tourism, medical attendance as well as interstate transport.

(f) So the Multi Disciplinary Expert Group is opinion that –

(i) It is in the public interest to acquire land for the purpose of purpose Purvanchal Expressway Project in District Sultanpur and it serves the public purpose.

(ii) The probable benefits from this project are more than the social expenditure and adverse social impact and total land to be acquired is much less than the total land required for this project.

4. In referece with the above recommendation of the Committee, it is to be noted that the revision of circle rate for the area affected by Purvanchal Expressway Project, will be done by Stamp and Registration Department/Collector, Sultanpur as per the stipulated procedure.

Procedure for determination of market value of land by Collector is mentioned in section 26 of the said Act. It is also mentioned in clause (b) of sub-section(1) of the said section, that average sale price for similar type of land, situated in the nearest vicinity will be determined by the Collector.

5. No family is likely to be displaced, due to land acquisition for this project.

6. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below, is needed for public purpose –

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be required (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Sultanpur	Baldirai	Isauli	Haliyapur	483 Ga	0.0127
				522	0.0136
				1064	0.0510
				1072	0.0298
				2487	0.0081
				2530	0.0105
				2533/3940	0.0032
				2560	0.0064
			Total	08 Kita	0.1353

7. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

8. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of the land in the locality in writing to the Collector.

9. Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land form the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition its completed, without prior approval of the Collector.

Note- A Site plan of the land may be inspected in the Deputy Collector (Land Aquisition), Sultanpur or Collector, Sultanpur.

By order,

ARVIND KUMAR,

Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 450 राजपत्र-2021-(1007)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 16 सा० औद्योगिक विकास-2021-(1008)-250 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।